माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनाँक 11 जुलाई 2024 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 189 एवं 190 वीं बैठक का कार्यवृत

1. माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के विशेष आतिथ्य में दिनांक 11.07.2024 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 189 एवं 190 वीं बैठक वल्लभ भवन के सभागार 505 सी से व्यक्तिशः तथा वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न हुई । बैठक में सहभागिता करने वाले अधिकारियों का विवरण संलग्न है ।

2. श्री तरसेम सिंह जीरा, महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा पावर पॉइंट प्रजेंटेशन दिया गया ।

3. बैठक के कार्यवाही बिन्दु निम्नलिखित है-

<u>एजेंडा क्रमांक 1 - बैंकों के व्यवसाय की समीक्षा वर्ष 2023-24</u>

1.1 <u>कृषि ऋण</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा प्रदेश में बैंकों के द्वारा कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा, आवास एवं प्राथमिकता क्षेत्रों में प्रदाय किये जा रहे ऋणों की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गयी| इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य में बैंकिंग व्यवसाय की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी एवं निर्देश दिए गए कि प्रदेश में कृषि ऋण की वार्षिक वृद्धि दर का देश की तुलना में कम होने के कारणों का विश्लेषण किया जाये| कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए सावधि ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी की जाये| शिक्षा संस्थानों, चिकित्सालयों जैसे संस्थानों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही बैंकों द्वारा त्वरित की जाये| एम.एस.एम.ई. क्लस्टर्स को मजबूती प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए एम.एस.एम.ई. विभाग को भी निर्देशित किया।

कार्यवाही- समस्त बैंक एवं एम.एस.एम.ई. विभाग

1.2 <u>साख जमा अनुपात</u>

देश के साख-जमा अनुपात की तुलना में प्रदेश का साख-जमा अनुपात अधिक होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतोष व्यक्त किया, साथ ही 40% से कम साख-जमा अनुपात वाले जिले सीधी, सिंगरौली, निवाड़ी, अनूपपुर एवं उमरिया में अनुपात की कमी का विश्लेषण करने हेतु निर्देश दिए गये| साख-जमा अनुपात को और बढ़ाये जाने हेतु सभी बैंकों को सुनियोजित प्रयास करने तथा जिला सलाहकार समिति की बैठक में सतत समीक्षा हेतु निर्देशित किया| यह भी निर्देशित किया कि एस.एल.बी.सी. की आगामी बैठकों में साख-जमा अनुपात कम एवं अधिक होने के कारणों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जावे ताकि उसमें अपेक्षित सुधार के लिए उपयुक्त रणनीति बनायी जा सके |

कार्यवाही- जिले के समस्त बैंक एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक

<u>एजेंडा क्रमांक 2 - वार्षिक साख योजना वर्ष 2023-24 की समीक्षा</u>

बैठक में संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2023-24 में प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत बैंकों का उपलब्धि प्रतिशत 92.80% रहा है एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 100% उपलब्धि रहने का विश्वास है |

कार्यवाही- समस्त बैंक

<u>एजेंडा क्रमांक 3 - शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा</u>

3.1 पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है | माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके लिए सभी बैंकों को बधाई दी गयी |

3.2 अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा योजना अंतर्गत हितग्राहियों के ऋण खातों में लंबित सब्सिडी क्लेम पेसा पोर्टल पर यथा शीघ्र करने हेतु बैंकों से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही- समस्त बैंक

3.3 अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समूहों को औसत वितरण की राशि बढ़ाने का बैंकों से आग्रह किया गया | संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 6 लाख तक ऋण स्वीकृति के लिये समूहों को माइक्रो क्रेडिट प्लान, बैंकों में जमा कराना होता है । स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाये जाने के लिए सुझाव दिया गया कि, जिस तरह आंध्रप्रदेश राज्य द्वारा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं, का परीक्षण कर राज्य में भी परियोजना लागत में वृद्धि की जाकर समूहों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाया जा सकता है |योजना पर विस्तृत चर्चा हेतु एस.एच.जी. उपसमिति की बैठक यथाशीघ्र करने की सलाह दी गई |

कार्यवाही- एस.आर.एल.एम., इंडियन बैंक
संयोजक उपसमिति एस.एच.जी. एवं समस्त बैंक

3.4 विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध-घुमंतु स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध-घुमंतु समुदाय हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ तत्परता पूर्वक दिलाया जाना सुनिश्चित करें| प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार हितग्राहियों को लाभ दिलायें जिससे स्थाई निवास का लाभ समुदाय को मिल सके | इस योजना अंतर्गत आ रही स्थाई निवासी के प्रमाण पत्र की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक उपाय किये जायें|

कार्यवाही- विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध-घुमंतु विभाग, मध्यप्रदेश एवं समस्त बैंक

3.5 टंट्या मामा आर्थिक कल्याण एवं भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उल्लेख किया गया कि, इन योजनाओं के हितग्राही मुख्यतः आदिवासी बाहुल्य जिलों में है, तथा इन जिलों मे साहूकारों द्वारा ऋण प्रदाय करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं| उक्त दोनों योजनाओं का लाभ अधिकतम हितग्राहियों तक सरलता से एवं सुलभता से पहुँचे, इस हेतु विभाग एवं बैंक समन्वित प्रयास करें| इन योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार भी किया जाए |

कार्यवाही- समस्त बैंक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, जनसंपर्क विभाग

<u>एजेंडा क्रमांक 4 - वित्तीय समावेशन</u>

4.1 इसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा 56 स्थानों का चिन्हांकन बैंक शाखाएं खोलने हेतु किया गया है | इसकी प्रगति के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा चिन्हित 56 स्थानों में से ऐसे 14 स्थान जहाँ भवन अथवा नेटवर्क सम्बंधित समस्याएँ हैं, उन जगहों पर संबंधित विभागों को जल्द से जल्द उपयुक्त भवन एवं नेटवर्क उपलब्धता की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया | मुख्य महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. द्वारा भारत-नेट के माध्यम से संचार सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आश्वासन दिया गया| अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चिन्हित गाँवों में पंचायत भवन में बैंक शाखा हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया |

कार्यवाही- बी.एस.एन.एल., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश

4.2 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा निर्देश दिये गए कि जन-सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले हित लाभों से सम्बंधित प्रक्रिया के प्रति बैंकों द्वारा आम-जनता को जागरूक किया जाये तथा अगली बैठक में सुरक्षा बीमा योजनाओं में प्रस्तुत दावों की संख्या तथा उनके विरुद्ध निराकृत प्रकरणों तथा भुगतान राशि की जानकारी प्रस्तुत की जाये |

कार्यवाही- एस.एल.बी.सी. तथा समस्त बैंक, मध्यप्रदेश

<u>एजेंडा क्रमांक 5 - गैर-निष्पादित आस्तियां-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना</u>

संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में गैर निष्पादित आस्तियों की जानकारी प्रस्तुत की| माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत बढ़ रहे एन.पी.ए. को

दृष्टिगत रखते हुये बैंको द्वारा ब्याज माफ करने पर विचार करते हुए राज्य सरकार के समक्ष युक्तियुक्त प्रस्ताव अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ।

कार्यवाही- ग्रामीण आवास मिशन तथा समस्त बैंक

<u>एजेंडा क्रमांक 6 - नये जिलों में R.S.E.T.I. (आरसेटी) की स्थापना</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा नए जिलों मऊगंज, मैहर, पांढुरना एवं पूर्व के आगर मालवा एवं निवाड़ी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R.S.E.T.I.) की स्थापना की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गयी | माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नये जिले मऊगंज, मैहर और पांढुरना तथा पूर्व के जिले आगर-मालवा तथा निवाड़ी में संबंधित विभाग द्वारा भूमि आवंटन के कार्य को यथाशीघ्र करने हेतु निर्देश दिये गए ।

कार्यवाही- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश

<u>एजेंडा क्रमांक 7 - डी.एल.आर.सी. बैठक में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी</u>

डी.एल.आर.सी. की त्रैमासिक बैठक में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गए कि जन-प्रतिनिधियों को सही समय पर बैठक की सूचना तथा आमंत्रण दिया जाए, एजेंडा समय पूर्व उपलब्ध कराया जावे तथा बैठकों की आवृति को यथावत रखा जाए।

कार्यवाही-समस्त कलेक्टर एवं अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश

<u>एजेंडा क्रमांक 8 - एम.पी.एस.आर.एल.एम. का डेफ-निधि अंतर्गत पंजीकरण</u>

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पंजीकरण हेतु आवेदन, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित कर दिया गया है |

<u>एजेंडा क्रमांक 9 - जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से के.सी.सी. ऋण की स्वीकृति</u>

शासन की क्रेडिट-लिंक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा जन-समर्थ पोर्टल बनाया गया है | बैठक में बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे जन-समर्थ पोर्टल पर यथाशीघ्र ओनबोर्डिंग की कार्यवाही करते हुए के.सी.सी. तथा अन्य ऋणों की स्वीकृति की कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें|

कार्यवाही-समस्त बैंक, मध्यप्रदेश

<u>एजेंडा क्रमांक 10 - वाटरशेड विकास घटक –प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0</u>

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर वाटरशेड परियोजना 2.0 के अंर्तगत लगभग 1900 समूहों को सहायता अनुदान और बैंक ऋण दिया जाना है। इसके अंर्तगत समूहों द्वारा डेयरी, भैंस पालन, विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिट, ऑइल मिल इत्यादि गतिविधियाँ ली गई हैं | विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में सहायता अनुदान और बैंक ऋण से सम्बंधित प्रावधानों में आजीविका गतिविधि हेतु सहायता अनुदान राशि कार्यकलाप की लागत का 50% या रु. 4.00 लाख, जो भी कम हो, प्रदाय किया जा रहा है| निर्देशित किया गया कि बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत ग्रामीण समूहों को ऋण प्रदान करने की कार्यवाही त्वरित रूप से की जाए।

कार्यवाही-समस्त बैंक

बैठक, धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई ।